



2026:AHC:16191

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2145 वर्ष 2026

महर्षि उर्फ प्रदीप यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार श्रीवास्तव, राज कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची का पुनरीक्षण किया गया।
2. आवेदक की ओर से श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता की वाद धारण करने वाले श्री अभिषेक दुबे, अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 542 वर्ष 2025, धारा 103(1), 191(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की गई है।**
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त घनश्याम यादव उर्फ धर्मेन्द्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2026 को पारित आदेश, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1479 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है, अतः समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत का अधिकारी है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक दिनांक 27.08.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
6. जमानत प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया, तथापि सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के विरुद्ध आपराधिक इतिहास न होने संबंधी तथ्यों का खंडन नहीं किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, विचारण लंबित होने तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय *नन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51* के आलोक में, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। अतः समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आदेश दिया जाता है कि आवेदक मट्टू उर्फ प्रदीप यादव को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रत्येक समान राशि में प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत दी जाती है—
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को प्रभावित/धमकाएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां विचारण न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में किसी प्रकार बाधित नहीं करेंगी।

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

सिद्धांत

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।